फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री संदीप सुराणा निवासी सुराणा कॉम्पलेक्स, पुराना बस स्टेण्ड, बेगूं तहसील बेगूं

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 17/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2020	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री संदीप सुराणा निवासी सुराणा कॉम्पलेक्स, पुराना बस स्टेण्ड, बेगूं ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.12.2019 को प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील जरिए ड़ाक प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 01.01.2020 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 31.01.2020 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 06.02.2020 अंकित कर जरिए ड़ाक प्रेषित की है जो दिनांक 10.02.2020 को इस कार्यालय में प्राप्त होना पाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 10 दिवस पश्चात् दिनांक 10.02.2020 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। वस्तुतः अपील में विलम्ब से पेश करने बाबत कोई अंकन ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चेतन देवड़ा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

(जिला कलक्टर)

चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official